2018/00036

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांट बनाम अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

श्री अशोक कुमार
किशोरी इन्टरनेशनल स्कूल
पिलानी रोड चिडावा, झुझनू।

सरकार जरिये
लोक सूचना अधिकारी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जि.प. सिरोही

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 16 वर्ष 2018

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18.6.2018	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट की अपील का अवलोकन किया गया अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 05.03.2018, को एक प्रार्थना पत्र पेश कर उनके नियुक्ति आदेश क्रमांक 150-51 दिनांक 19.03.1991 कि सत्यापित प्रतिलिपि से संबंधित सूचना हेतु निवेदन किया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उन्हे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई हैं । मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी को निर्धारित फिस रूपये 10/- अदा कर दिये गये हैं । लोक सूचना अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जि.प. सिरोही के अपील अधिकारी जिला कलक्टर नही हैं । अतः अपीलांट की अपील इसी स्तर पर अस्वीकार की जाकर दाखिल दफ्तर की जाकर अपीलांट को निर्देश दिये जाते हैं कि वह चाहे तो सक्षम प्राधिकारी को अपील पेश करें, निर्णय सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । 18/6/18 (बाबू लाल मीणा) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned by CamScanner